

परिवाद संख्या 04 / 2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री मोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री गोपालकृष्ण खण्डेलवाल, मैसर्स फ्रेश कॉर्नर, मैन चौराहा, मदनगंज किशनगढ
- 2- मैसर्स फ्रेश कॉर्नर, मैन चौराहा, मदनगंज किशनगढ

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 व 52 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

—: आदेश :-

दिनांक—01.02.2023

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टैंडर्ड व मिसब्राण्ड का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.06.2021 को 03.15 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स— फ्रेश कॉर्नर, मैन चौराहा, मदनगंज किशनगढ पर पहुँचे श्री मोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री गोपालकृष्ण खण्डेलवाल मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को बिस्किट, केक व जूस विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान बिस्किट (ब्राण्ड नाम—फ्रेश कॉर्नर) 250-250 ग्राम के पैकेट में मिलावट का शक होने पर उसमें से 250-250 ग्राम के 4


पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु 280/- रुपये श्री मोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री गोपालकृष्ण खण्डेलवाल को नगद देकर गवाह श्री रमेश चन्द सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मोहित खण्डेलवाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 250-250 ग्राम के 4 पैकेट बिस्कट (ब्राण्ड नाम-फ्रेश कॉर्नर) में से प्रत्येक पैकेट को भूरे कागज में लपेटकर व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए-2716 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/6761 दिनांक 23.07.2021 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस 233/एक्ट/2021/145 दिनांक 06.07.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया बिस्कट (ब्राण्ड नाम-फ्रेश कॉर्नर) सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 27.04.2022 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 27.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मोहित खण्डेलवाल को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 01.02.2023 को अप्रार्थी श्री मोहित खण्डेलवाल स्वयं उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि बिस्कट (ब्राण्ड नाम-फ्रेश कॉर्नर) का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया जाता है। किसी अन्य निर्माणकर्ता फर्म से क्रय किये गये थे एवं वर्तमान में सम्बन्धित फर्म से बिस्कट (ब्राण्ड नाम-फ्रेश कॉर्नर) लेना बन्द कर दिया है। उपरोक्त त्रुटि निर्धारित नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण अज्ञानतावश हुई है। अब भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं की जाएगी। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूँकि परिवाद में अप्रार्थी श्री मोहित खण्डेलवाल ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किये गये बिस्कट (ब्राण्ड नाम-फ्रेश कॉर्नर) सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाये गये, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री मोहित खण्डेलवाल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26


न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर



भी उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे विक्रेट (ब्राण्ड नाम-फ्रेश कॉर्नर) निर्धारित वैल्यू अनुसार सही होना नहीं पाया गया है। ऐसे उत्पाद आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थी को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री मोहित खण्डेलवाल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री मोहित खण्डेलवाल को रु 11000/- (अक्षरे ग्यारह हजार रुपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उपरोक्त शास्ति न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 01.02.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

- क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2023/ 678-81 दिनांक : 7/2/23
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
 - 2- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, अजमेर
 - 3- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
 - 4- श्री मोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री गोपालकृष्ण खण्डेलवाल, मैसर्स फ्रेश कॉर्नर, मैन चौराहा, मदनगंज किशनगढ

(राजेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर